राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 व 1060/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.2014	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 04.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जिनमें वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष **2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 व 2013–14 के लिये पारित पृथक–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान **₹8,11,902/–, ₹1,157,661/–, ₹9,60,779/–, ₹11,29,087/–,₹12,05,457/– ₹5,39,757/–** की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अभिभाषक श्री डी.कुमार एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 14.07.2014 को उपस्थित हुये। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को विदड्रा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में रोक आवेदन पत्रों को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र विदड्रा करने के कारण, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज किये जाते हैं। आदेश सुनाया गया। 16.7.2014 **(मदन लाल)** **सदस्य** **(राकेश श्रीवास्तव)** **अध्यक्ष**	